Witness No. ....**02**......., for –.................**अभियोजन साक्षी** .... ,

Deposition taken the **13 / 01 / 2023** ,day of - .... witness's apparent age **–30 वर्ष**

States affirmation - ....**शपथ**................., my name is –..........**ईश्वर प्रसाद**.............

son of – ......**लल्लू राम साहू**.......... ...occupation–............**वाहन चालक**.................

address – **ग्राम– रनचिरई, थाना– रनचिरई, जिला– बालोद छ0ग0।**

मुख्य परीक्षण प्रारंभ समयः– 1:30 बजे से।

मुख्य परीक्षण राज्य द्वारा श्री प्रशांत पारख, लोक अभियोजक

1. मैं न्यायालय उपस्थित आरोपीगण को नहीं पहचानता हूं। कीर्तन मेरे ससुर है।

2. मैं वर्ष 2021–22 में ग्राम चंदनबिरही अपने ससुर के घर में था। मैं किसी भी घटना के बारे में नहीं जानता हूं। मैं चंदनबिरही में रहने के दौरान अपने ससुर के साथ खेत जा रहा था तब एक पुलिस वाला आया और हमें पुलिस सहायता केन्द्र पुरूर चलने के लिए कहा था तब मैं अपने ससुर के साथ पुलिस सहायता केंद्र पुरूर गया था तब कुछ कोरे कागज पर मैं और मेरे ससुर हस्ताक्षर किये थे। हस्ताक्षर के संबंध में पूछे जाने पर पुलिस वालो के द्वारा कहा गया था कि हस्ताक्षर कर दो कुछ नहीं होगा तब मैं हस्ताक्षर कर दिया था। गवाह अब कहता है कि कुछ लिखा हुआ था परंतु मैं उसे पढ़ा नहीं था।

3. पुलिस के द्वारा मेरे समक्ष कोई भी कार्यवाही नहीं किया गया था परंतु गवाह को मौका नक्शा **प्रदर्श पी 01**, नोटिस गवाह **प्रदर्श पी 02**, गवाह सूचना पंचनामा

प्रदर्श पी 03, सूचना पंचनामा **प्रदर्श पी 04 एवं प्रदर्श पी 05**, तलाशी पंचनामा पुलिस पार्टी का **प्रदर्श पी 06**, तलाशी पंचनामा वास्ते पुलिस वाहन **प्रदर्श पी 07**, तलाशी पंचनामा संदेही का **प्रदर्श पी 08**, बरामदगी पंचनामा **प्रदर्श पी 09**, पहचान पंचनामा **प्रदर्श पी 10**, इलेक्ट्रॉनिक तराजू का भौतिक सत्यापन पंचनामा **प्रदर्श पी 11**, तौल पंचनामा **प्रदर्श पी 12**, समरस पंचनामा **प्रदर्श पी 13**, सैंपल पंचनामा **प्रदर्श पी 14**, नमूना सील पंचनामा **प्रदर्श पी 15**, आरोपी शिवाजी गोड़ एवं विकेश्वर यादव का गिरफ्तारी पत्रक क्रमशः **प्रदर्श पी 16 एवं प्रदर्श पी 17** का दस्तावेज दिखाये जाने पर उसमें ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है।

4. पुलिस के द्वारा मेरे समक्ष किसी भी वस्तु की जप्ती नहीं की गई थी परंतु जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 18 एवं प्रदर्श पी 19** गवाह को दिखाये जाने पर ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है। घटना के संबंध में पुलिस ने मुझसे पूछताछ नहीं किये थे।

टीप– लोक अभियोजक ने अपने गवाह से प्रतिपरीक्षण स्वरूप के प्रश्न पूछने की अनुमति चाही। सुना गया। अभिलेख देखा गया तत्पश्चात् भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 154 के अंतर्गत प्रतिपरीक्षण स्वरूप के प्रश्न करने अनुमति दी गई।

5. यह कहना सही है कि दिनांक 18.08.2022 को मैं अपने ससुर कीर्तन के साथ पुरूर गया था। मैं आज नहीं बता सकता कि दिनांक 18.08.2022 को गुरूर तिराहे पर मैं अपने ससुर के साथ खड़ा था।

6. यह कहना गलत है कि, मैं पुलिस को **प्रदर्श पी 21** का बयान दिया था। यह कहना गलत है कि, मैं आरोपी को पहले भी देख चुका हूं। यह कहना गलत है कि, मैं आरोपीगण से मिल गया हूं इसलिए सही बात नहीं बता रहा हूं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री आई.ए. खान अधिवक्ता वास्ते आरोपी

7. यह कहना सही है कि मैं सभी दस्तावेज में हस्ताक्षर एक साथ किया हूं।

प्रतिपरीक्षण समाप्ति समयः– 02:00 बजे तक।

वाचित शुद्ध स्वीकृत ।

सही / –
(डॉ. प्रज्ञा पचौरी)
विशेष न्यायाधीश,
अंतर्गत एन.डी.पी.एस. एक्ट, बालोद
जिला– बालोद छ0ग0।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

सही / –
(डॉ. प्रज्ञा पचौरी)
विशेष न्यायाधीश,
अंतर्गत एन.डी.पी.एस. एक्ट, बालोद
जिला– बालोद छ0ग0।